निविदा हेतु सूचना

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ –II
वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
दूरभाष : 011–26707700, फैक्स : 011–26121883
वेबसाइट : www.nbtindia.gov.in, ई–मेल : office.nbt@nic.in

दिनांक : 5-8-16

....
....
....

विषय : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली में पैकिंग सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन, अपने केंद्रीय विक्रय भंडार, वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070 में पैकिंग सामग्री (गत्ते के डिब्बे, लहरदार कागज़ के रोल, प्लास्टिक की पन्नी, प्लास्टिक का पट्टी रोल आदि) की आपूर्ति हेतु मोहरबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है।

नियम एवं शर्तें संलग्नक – 1 पर देखें।

आपसे अनुरोध है कि निर्धारित प्रोफॉर्मा में प्रत्येक मद हेतु अपनी न्यूनतम दरें भरें एवं जिन मदों के लिए दरें प्रस्तुत करें, उनके नमूने/सैंपल भी जमा करवाएँ। नमूनों सहित सीलबंद कोटेशन 22 अगस्त, 2016 को अपराह्न 2:00 बजे तक, उप–निदेशक (भंडार), एनबीटी मुख्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली को भेज दें। निविदाएँ 22 अगस्त, 2016 को अपराह्न 3:00 बजे खोली जाएँगी।

(राकेश कुमार)
उप–निदेशक (भंडार)

संलग्न : संलग्नक. 1 (नियम एवं शर्तें)
संलग्नक. 2 (निविदा प्रपत्र)

संलग्नक–1

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत
नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़ –II
वसंत कुंज, नई दिल्ली–110070
दूरभाष : 011–26707700, फैक्स : 011–26121883
वेबसाइट : www.nbtindia.gov.in, ई–मेल : office.nbt@nic.in

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली में पैकिंग सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा

नियम एवं शर्तें

1. संलग्नक–2 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में ही निविदाएँ जमा करवाएँ।
2. यदि निविदा का कवर सील एवं चिह्नित नहीं है, तो न्यास इसके गुम हो जाने अथवा नियत समय से पूर्व खोले जाने हेतु ज़िम्मेदार नहीं होगा।
3. अपूर्ण निविदाएँ अस्वीकृत कर दी जाएँगी।
4. दरें इस प्रकार प्रस्तुत की जाएँ जिससे यह निर्दिष्ट हो कि दरों में सेवा कर व अन्य शुल्क शामिल हैं अथवा नहीं। प्रस्तुत की गई दरें एक वर्ष हेतु मान्य होंगी।
5. निविदाकर्ता दरों को आँकड़ों के साथ–साथ शब्दों के रूप में भी भरें। निविदा प्रपत्र अंग्रेजी में भरा जाए तथा सभी प्रविष्टियाँ पेन द्वारा लिखित अथवा टाइप होनी चाहिए। लिखी गई दरों में ओवरराइटिंग करने की अनुमति नहीं है, यदि कोई सुधार किया गया हो तो उसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाए।
6. यदि लिखी गई दरों के शब्दों तथा आँकड़ों में अंतर पाया जाता है तो शब्दों में लिखी राशि ही मान्य होगी।
7. जहाँ आवश्यक समझा जाए, न्यास निविदाकर्ता से किसी भी पहलू पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि इसके परिणामस्वरूप निविदाकर्ता प्रस्तुत दरों में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. मोहरबंद निविदाएँ 22 अगस्त, 2016 को अपराहन् 02:00 बजे तक उप–निदेशक (भंडार), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज़–II, वसंत कुंज, नई, दिल्ली को भेज दी जाएँ।
9. निविदाएँ 22 अगस्त, 2016 को अपराह्न 03:00 बजे न्यास मुख्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली में ही खोली जाएँगी। निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
10. **निविदाकर्ताओं को ₹ 10,000/–(दस हज़ार रुपये) की अग्रिम राशि (प्रतिदेय) डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट 'नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया' के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली के नाम देय हो। अपेक्षित अग्रिम राशि के बिना भेजी गई निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**
11. न्यास उस निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करेगा जिसकी निविदा न्यास की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी तथा जिसकी दरें मूल्यांकन के पश्चात न्यूनतम पाई जाएँगी, बशर्ते निविदाकर्ता अनुबंध को संतोषजनक रूप से पूरा करने हेतु योग्य समझा जाए। हालाँकि न्यास, न्यूनतम निविदा अथवा किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
12. **सफल निविदाकर्ता को जमानत राशि के रूप में ₹ 25,000/– (पच्चीस हज़ार रुपये) की एकमुश्त राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट**

(13)

'नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया के पक्ष में नई दिल्ली के नाम देय हो। सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि न्यास के पास अनुबंध की वैधता तक सुरक्षित रहेगी तथा अनुबंध की समाप्ति के पश्चात बिना किसी ब्याज के यह राशि वापस कर दी जाएगी।

13. अनुबंध के पादरर्शी रूप से क्रियान्वयन हेतु सफल निविदाकर्ता को अपनी सत्यनिष्ठा की वचनबद्धता लिखित रूप से जमा करवानी होगी।
14. यदि कार्य सौंपने के पश्चात ठेकेदार द्वारा अपना नाम वापस लिया जाता है अथवा वह निर्धारित समय के अंतर्गत आपूर्ति करने में असफल होता है अथवा यदि नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्ति संतोषजनक नहीं पाई जाती तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि ज़ब्त कर ली जाएगी। पैकिंग सामग्री एनबीटी कार्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली–70 में पहुँचानी होगी तथा सामान उतारने की लागत ठेकेदार द्वारा ही वहन की जाएगी।
15. निविदाकर्ता द्वारा न्यास को संपूर्ण निविदा प्रपत्र के साथ उन सभी मदों के नमूनों/सैंपल को जमा करवाना होगा जिनकी दरें प्रस्तुत की गई हैं। नमूनों/सैंपल के बिना जमा करवाई गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा खोलने हेतु गठित की गई समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में दिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा इस निर्णय के खिलाफ किसी भी निविदाकर्ता द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। अपनी कोटेशन जमा करवाने से पूर्व निविदाकर्ता न्यास के विक्रय भंडार से सामग्री के नमूने/सैंपल देख सकते हैं।
16. न्यास किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को वापस लेने अथवा अनुबंध देने से पूर्व सभी निविदाओं को अस्वीकृत करने व इसके परिणामस्वरूप प्रभावित निविदाकर्ताओं के प्रति किसी भी प्रकार की देयता से स्वतंत्र है।
17. सभी मदों की आपूर्ति निविदा प्रपत्र (संलग्नक–2) में उल्लिखित, अनुमोदित नमूनों/सैंपल के अनुसार होनी चाहिए।
18. आपूर्तिकर्ता को न्यास द्वारा आपूर्ति–आदेश जारी करने की तिथि से 10 दिनों के भीतर गत्ते के डिब्बे तथा 03 कार्य दिवस के भीतर अन्य वस्तुएँ पहुँचानी होंगी।
19. आदेश के क्रियान्वयन के दौरान यदि आपूतिकर्ता को किसी नुकसान का वहन करना पड़ता है, तो वह न्यास से उस क्षतिपूर्ति का दावा करने का हकदार नहीं है।
20. यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में आपूर्ति–आदेश को पूरा करने में असफल होता है, तो न्यास द्वारा उसपर ₹ 1000/– प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा तथा उस ठेकेदार का नाम काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप वह न्यास द्वारा भविष्य में होने वाली किसी भी निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में, न्यास के पास यह भी अधिकार होगा कि वह किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से वस्तुओं की खरीद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे तथा अन्य ठेकेदार को वस्तुओं की खरीद हेतु दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली मूल ठेकेदार से करेगा।
21. भारत सरकार के नियमानुसार न्यास द्वारा स्त्रोत पर लागू आयकर की कटौती की जाएगी।
22. निविदाकर्ता को स्थायी खाता संख्या (पैन नंबर), सेवा कर पंजीकरण संख्या तथा अन्य प्रत्यय–पत्रों का उल्लेख अवश्य करना होगा।
23. सभी अनसुलझे विवादों को सुलझाने हेतु वैधानिक क्षेत्र केवल दिल्ली/नई दिल्ली न्यायालय ही होंगे।

(राकेश कुमार)
उप–निदेशक (भंडार)